2019/00199

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट बनाम अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट

श्रीमती अरूणा कुमारी पुत्री श्री हरी सिंह राठौड
जाति राजपुत
निवासी कृष्णापुरी, सिरोही
तहसील सिरोही जिला सिरोही

लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 24 वर्ष 2019

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
23.09.2019	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिनॉक 12.3.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि उसके द्वारा दिनांक 13.6.2016 को मिरर पत्रिका सिरोही में संपादक बदलने का प्रस्तुत घोषणा पत्र पर की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि से संबंधित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं । मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है। । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी को दिनॉक 12.3.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि उसके द्वारा दिनांक 13.6.2016 को मिरर पत्रिका सिरोही में संपादक बदलने का प्रस्तुत घोषणा पत्र पर की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि उन्हे निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नही कराई गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट को चाही गई समस्त सूचना तत्काल उपलब्ध करावें । यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें । पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (सुरेन्द्र कुमार सोलंकी) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned by CamScanner